



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102023-249538
CG-DL-E-18102023-249538

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 2023/आश्विन 26, 1945

No. 602]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2023/ASVINA 26, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 756(अ).—केंद्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) से संबंधित उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची के क्रम सं. 28 और उसकी प्रविष्टियों से है, प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. एचएसएम-12/96/2020-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव,

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18 October, 2023

G.S.R. 756 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints the 1st April, 2024 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 28 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), shall come into force.

[F.No. HSM-12/96/2020-HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.